International Journal of History 2020; 2(1): 43-45

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
IJH 2020; 2(1): 43-45
Received: 20-11-2019
Accepted: 22-12-2019

पूरन लाल मीना
असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविधियालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
पूरन लाल मीना
असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविधियालय, दिल्ली, भारत

बौद्ध धर्म और प्राचीन महिलाएँ

पूरन लाल मीना

सारांश
प्राचीन भारतीय महिलाओ की स्थिति की ऐतिहासिकता समय ,शासक, स्थान के अनुसार बदलती रही है यो तो भारतीय महिलाये सब क्षेत्र में विश्ब प्रसिद्व रही है ज्ञान – विज्ञान में तो थी ही साथ साथ बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा प्रसिद्ध रही है, वैदिक काल में बे पुरुसो के साथ बराबर की स्थिति में होती थी पर यह स्तर उत्तर वैदिक काल में उनका नहीं रहा, उनको पुरुसो के समक्ष भगीदारी नहीं मिलने लगी, महिलाओ की गिरी हुई स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है की उनकी तुलना विसेले सर्प से की जाने लगी अर्थात उनसे दूरिया बनाके रखने की सलाह तक दी जाने लगी, बौद्ध धर्म ने महिलाओ को इस स्थिति से बाहर निकाल कर पुनः उचित स्थान दिलाया आनंद के कहने पर भगबान बुद्ध ने महिलाओ के लिए मोक्ष प्राप्ति के दरवाजे खोल दिए बौद्ध धर्म में महिलाये निर्वाण प्राप्त कर सकती थी, बौद्ध मठो में निवास कर सकती, बौद्ध भिक्षुणिया बन सकती थी, बौद्ध काल में महिलाओ को बौद्ध धर्म के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी ,उनके गीतों को थेरीगाथा में संकलन किया गया ताकि नई आने बाली बौद्ध भिक्षुणियो के लिए ये ज्ञान मिलसके, कई महिलाओ को निर्वाण मिलने की बात भी विनय पिटक जैसे पाली बौद्ध ग्रंथो में बताई गयी है

मुख्य शब्दः वैदिक–उत्तरवैदिक, बौद्धभिक्षु–भिखुनिया, तेवज्जा, थेरीगाथा–थेरागाथा, बौद्धमठ, चीनी यात्री

भूमिका
अन्य प्राचीन धर्मों जैसे वैदिक धर्म, जैन धर्म आदि से बौद्ध धर्म में महिलाओं कीस्थिति बहुत भिन्न थी। शुरूआती काल में वैदिक धर्म में अर्थात् ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और पुरुषों के समान धार्मिक क्रियाकलापों में विद्यार्जन में सहभागी रही। पर उत्तरवेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बदल गयी उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में सीमित भाग लेने की अनुमति ही मिलने लगी आगे चलकर धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने से वंचित ही रहना पड़ा।
पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को लेकर दो स्तरों पर सहभागिता सुनिश्चित की प्रथम महिलाएँ भी निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है द्वितीय ऐसी बौद्ध महिलाएँ जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहती थी उनके लिए अलग से बौद्ध संघ बनाए गये।
शुरूआती बौद्ध काल में या बौद्ध धर्म के आगमन से कुछ दशकों पूर्व महिलाएँ प्रथम काल में पिता के अधीन रहती अर्थात् वाल्यकाल में पिता पर आश्रित, दूसरे अर्थात् यौवन काल में पति पर आश्रित पति की आज्ञाकारिणी बनकर, तृतीय काल अर्थात् वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रित या अधीन रहती थी। पिता, पति, पुत्र, ये स्त्री के संरक्षक थे। पर यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म में आज्ञाकारिणी महिला की स्थिति को स्वीकार किया गया है महिलाएँ वासना अर्थात् सेक्स की एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं थी जो पुरुष की भक्ति मे व्यवधान डालने वाली अर्थात् बाधाएँ उत्पन्न करने वाली एक काया मानी जाती रही। जो सांप की तरह डसने वाली और तपती, धधकती अग्नि की भांति थी। ये महिलाएँ ब्रह्मचर्य जीवन को भंग करने वाली होती थी।
शायद इन सांकेतिक रूपों द्वारा ब्रह्मचर्य जीवन को बचाने के लिए प्रयास किया गया होगा और ब्रह्मचर्य जीवन भंग होने का खतरा नारी से था।
बौद्ध भिक्षु महिलाओं से दूर रहते ठीक उसी तरह बौद्ध भिक्षुणियाँ भी अपने नियम कायदों से बंधी रहती और पुरुषों से दूरियाँ बनाकर रखती थी। ऐसे आचरण बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणियों पर समान रूप से लागू होते थे और इनका पालन होता भी था। ये नियम आचरण की पवित्रता अर्थात् ब्रह्मचर्य को कठोरता से निभाने के लिए थे। [1]
यह भी सत्य है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म अपनाने, बौद्ध भिक्षुणियाँ बनने की बात मान ली

हालांकि शुरूआती समय में भगवान बुद्ध महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश और भिक्षुणी संघ की स्थापना के प्रति अनिच्छुक थे। महाप्रजापति गौतमी जो रिश्ते में भगवान बुद्ध की मौसी लगती थी उन्होंने भी आग्रह किया कि स्त्रियों को और स्वयं महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दे। अंततः भगवान बुद्ध इन दोनों की बात ज्यादा दिनों तक टाल नहीं पाये और बौद्ध संघ बौद्ध मठ स्त्रियों के लिए भी खोल दिये गये। पर शर्तों के साथ ही उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था।

बौद्ध ग्रन्थ विनयपिटक भगवान बुद्ध की महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति को भगवान बुद्ध की अनिच्छा पूर्वक दी गई अनुमति मानता है बौद्ध ग्रन्थ विनयपिटक में लिखा है कि भगवान बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश दे देने पर शिष्य आनंद को बुलाकर कहते हैं कि अब जब बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश मिल गया है तब ये धर्म 500 वर्ष ही चलेगा, यदि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता तो यह धर्म 1000 (एक हजार) वर्ष से अधिक चलता। पर अब स्त्रियों के संघ प्रवेश से बौद्ध धर्म पाँच सौ वर्षों में ही पतन के कगार पर पहुँच जायेगा। [2]

महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश से पहले वे गर्भवती (प्रेग्नेंट) नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी महिलाओं को घर से भाग कर आयी महिला माना जाता था जो संघ पर भी कलंक का कारण बन सकती थी। आने वाली महिलाओं को अपने माता–पिता, पति, पुत्र की आज्ञा लेकर आकंर जरूरी समझा जाता था।

बौद्ध संघ में महिला भक्तों अर्थात् भिक्षुणियों को संघ के नियम, कानून, कायदों को माननना अनिवार्य था महिला भक्तों अर्थात् बौद्ध भिक्षुणियों को भिक्षुणियों के नियम कायदे मानने के साथ–साथ बौद्ध भिक्षुओं के नियम भी मानने पड़ते थे। इस तरह से बौद्ध महिला भक्तों को दोहरे नियमों का पालन करना पड़ता था।

महिला बौद्ध भिक्षुणियों को बौद्ध संघ के वातावरण में ढालने के लिए 8 नियमों का अनुसरण करना जरूरी था। [3] ये आठ (8) नियम भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गये होंगे ऐसी मान्यताएँ बौद्ध ग्रंथ विनयपिटक में बताई गई है। साथ ही महिला में भी निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता थी पर इससे बढ़कर यदि बुद्धत्व प्राप्त करना चाहती है तो पहले उसे पुरुष के रूप में जन्म से गुजरना जरूरी समझा गया।

बौद्ध भिक्षुणियों अर्थात् बौद्ध महिला भक्तों के लिए 8 नियम थे ये8 नियम बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में दिये गये हैं बौद्ध संघ की महिला भक्तों को सम्पूर्ण बौद्ध संघ के जीवन काल में इन 8 नियमों को अनिवार्यतः पालन करना होता था, ये 8 नियम निम्न थेः–

1. महिला बौद्ध भक्त को अपने समकक्ष या अपने से जूनियर या अपने से वरिष्ठ हो, कोई भी बौद्ध भिक्षु हो किसी भी स्तर का हो अर्थात् वह बौद्ध भिक्षु महिला बौद्ध भिक्षुणियों से जूनियर, समकक्ष, सीनियर (वरिष्ठ) किसी भी स्तर की श्रेणी का हो, और महिला बौद्ध भिक्षुणी कितनी भी वरिष्ठ हो, फिर भी उसे उस बौद्ध भिक्षु को सरलता पूर्वक अभिवादन अर्थात् प्रणाम करना होगा ऐसा करते समय महिला बौद्ध भिक्षुणी को हाथ जोड़कर खड़े रहना होगा जब तक की बौद्ध भिक्षु वहाँ उपस्थित रहता था अर्थात् उस जगह से बौद्ध भिक्षु चला नहीं जाता तब तक संघ की महिला बौद्ध भक्त हाथ जोड़कर नमन करते हुए प्रणाम करती रहनी चाहिए। [4]
2. बौद्ध महिला भक्त को हर महीने के प्रत्येक पक्ष में बौद्ध संघ के भिक्षुओं से 2 बातें सीखनी चाहिए ये दो बाते हैं उपोसथ की तिथि कौन सी है साथ ही महिला भक्त को बौद्ध संघ के भिक्षु से किस बौद्ध सिद्धांत का उपदेश लेकर उसका अनुसरण करना चाहिए।
3. बौद्ध संघ की महिला भक्त किसी दुर्वव्यवहार में संलिप्त पाई जाती है तो उसे दोनों संघों के समदिन मनन्ता अनुशासन की परीक्षा देनी होगी अनुशासनहीनता दिखाई देने पर भिक्षुणी को गहन परीक्षण का दौर पास कर संघ में वापिसी करनी चाहिए।
4. खासकर वर्षा काल में महिला बौद्ध भिक्षुणियों को एकान्तवास से बचकर रहना होगा ऐसे स्थान जहाँ वर्षा ऋतु शुरू होते ही बौद्ध भिखु पलायन कर गये हो वहाँ से बौद्ध भिक्षुओं के साथ–साथ बौद्ध भिक्षुणियों को भी चले जाना चाहिए। न कि उन्हें अकेले वहाँ पर ठहरना चाहिए। क्योंकि यदि बौद्ध भिक्षुणियाँ ऐसा नहीं करती तो उनके व्यभिचारग्रही होने की सम्भावना बढ़ जायेगी और राहगीरों की हवस का शिकार बन जाय ऐसी भी सम्भावना बन सकती है।
5. त्रिपठनीय निमंत्रण अर्थात् भिक्षुणियों का भिक्षुणियों द्वारा निमंत्रण तथा भिक्षुणियों को भिक्षुओं द्वारा नियंत्रण और भिक्षुओं द्वारा भिक्षुओं को निमंत्रण जिसमें सभी को संयुक्त रूप से आहूत किया गया हो को बौद्ध भिक्षुणियों को स्वीकर करना चाहिए।
6. दोपहर में भोजन का व्रत अर्थात् दोपहर के बाद भोजन करने का व्रत अतिरिक्त रूप से महिला बौद्ध भिक्षुणियों को करना होगा ये व्रत पाँच व्रतों के अतिरिक्त होगा। ऐसा महिला बौद्ध भिक्षुणियों को प्रारम्भ के दो वर्षों तक करना चाहिए।
7. महिला बौद्ध भिक्षुणियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि चाहते हुए और न चाहते हुए भी बौद्ध संघ के किसी भी भिक्षु की बुराई से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बौद्ध भिक्षुणियाँ पूरी तरह आचरण की अनुशीलता पर रह रही है अर्थात् अपनी नैतिकता को उच्च कोटि का प्रदर्शित करना चाहिए न कि निम्न कोटि का।
8. बौद्ध संघ का भिक्षु स्वतंत्र है कि आचरण की पवित्रता पर खरी नहीं उतरने वाली बौद्ध महिला भिक्षुणी को बौद्ध भिक्षु लताड़ लगा सकता था पर बौद्ध भिक्षु को चाहे उसका आचरण किसी भी स्तर का क्यों न हो, बौद्ध भिक्षुणियाँ, बौद्ध भिक्षु को लताड नहीं लगा सकती थी उन्हें लताड़ नहीं लगानी चाहिए, यदि उन्हें किसी बौद्ध भिखु के आचरण से कोई असुविधा हो रही है तो वो संबंधित संघ के वरिष्ठ भिक्षु को सूचित कर सकती है वह भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए।

जिस प्रकार वेदों में बहुत सी महिला विद्वान का उल्लेख आया है वैसे ही बौद्ध ग्रंथो में भी बहुत सी महिला विद्वानों जैसे संयुक्त निकाय में खेमा नाम की विदूषी महिला, खेमा का प्रवचन सम्मानपूर्वक प्रसेनजित ने सुना और समापन पर खेमा नामक विदूषी को सम्मानित किया बौद्ध ग्रन्थ अग्गुत्तर निकाय में विशाखा, भिक्षुणी धम्मदीना प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध महिला का वर्णन आया है जिसकी विद्वता का सम्मान स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था और कहा कि विशाखा ज्ञान–वान गुणी महिला विद्वान है जिससे सबको ज्ञान–सीखना चाहिए और विशाखा बौद्ध महिला का सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए।

विशाखा ने धम्मदीना से कुछ प्रश्नोत्तर किये और धम्मदीना ने सहजतापूर्वक शालीनतापूर्वक उत्तर दिये उनको सुनकर स्वयं भगवान बुद्ध ने विशाखा की प्रसंसा विद्वान बौद्ध महिला के रूप में की। धम्मदीना थेरी विशाखा सच में विद्वान बौद्ध महिलाएं रही जिनके वार्तालाप और प्रश्नोत्तरी की बुद्ध ने प्रसंसा की इन दोनों का यह प्रसंग बौद्ध ग्रंथ अग्गुत्तरनिकाय में वर्णित है।

निष्कर्ष:

दो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा और थेरागाथा में से थेरीगाथा महिला संगीत का संकलन है [5] ऐसी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुणियाँ अपने गीतों को चिरस्थायी रखने के लिए कनिष्ठ बौद्ध भिक्षुणियों को रटाया करती उन्हें गीतों के सुर लय, अर्थ बताया करती थी इन्ही सब का संकलन थेरीगाथा में संकलित है। थेरी गाथा प्राचीन

भारत के उन ग्रन्थों में से एक है जो पूरी तरह महिलाओं को समर्पित है। [6]

तेविज्जा में कई महिला बौद्ध भिक्षुणियाँ निपुण थी, जिसमें अरहत ही निपुण माने जाते थे या कहें इस तेविज्जा पर अरहतों का एकाधिकार था उस तेविज्जा में भी कई महिला बौद्ध भिक्षुणियाँ महारत हासिल करती गई। इन गीतों के अर्थ से पता चलता है कि कई बौद्ध महिला बिदूषियों को भी निब्बान मिला और इन्हें निब्बान की अनुभूति अन्य अरहतों की भांति हुई। [7] थेरीगाथा में एक कहानी चंदा नामक ब्राह्मण कन्या की भी है जो किसी विपदा में अपने माता–पिता की असहाय मृत्यु में अकेली पड़ गई। बाद में एक बौद्ध भिक्षुणी जिसका नाम पतचारा था ने उसे संघ में प्रवेश दिलाया। ये सब महिला कथा–कहानियां बौद्ध ग्रंथ थेरीगाथा में वर्णित है जो प्राचीन भारत में बौद्ध महिलाओं के लिए समर्पित ग्रन्थ है।

संदर्भः

1. सराओ के. टी. एस. (1990) अर्वन सेंटर एंड अर्बनिजशन एज रेफ्लेक्टेड इन द पाली विनय एंड सुत्त पिटक सेकंड रिवाइज एडिटेड दिल्लीः डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 2007.
2. उपेन्द्र सिंह, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाणकाल से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली, 2008, पृ. 330.
3. उपेन्द्र सिंह, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाणकाल से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली, 2008, पृ. 331.
4. उपिन्दर सिंह, 2008 पूर्वोक्त, पृ. 331.
5. द थेरीगाथा एडिटेड के. आर. नार्मन एंड अल. अल्स्दोर्फ लंदन पी. टी. एस. 1966.
6. सराओ के. टी. एस. (1990) अर्वन सेंटर एंड अर्बनिजशन एज रेफ्लेक्टेड इन द पाली विनय एंड सुत्त पिटक सेकंड रिवाइज एडिटेड दिल्लीः डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 2007.
7. सराओ के. टी. एस. (1990) 2007 अपेंडिक्स 1.